



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 492 राँची, सोमवार, 30 श्रावण, 1945 (श०)
21 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2023

संख्या-15/विविध-08/2018- 3344--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा-(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, पुलिस हस्तक नियम 1978 के नियम 660 C (b) (अधिसूचना संख्या-1463, दिनांक-04.02.1989 (यथा अंगीकृत) में निम्न संशोधन करते हैं-

1. अधिसूचना संख्या-1463, दिनांक-04.02.1989 (यथा अंगीकृत) द्वारा पुलिस हस्तक के नियम 660C(b) में किये गये निम्न प्रावधान:-

"660 C (b) Out of turn promotion will be decided by a committee which will be constituted as follows :-

- (i) Director General and I.G. of Police, Bihar - Chairman
- (ii) Senior most officer in-charge of CID, Bihar - Member
- (iii) Senior most officer in-charge of Special Branch, Bihar - Member
- (iv) Senior most officer in-charge of (Personnel), Bihar - Member
- (v) Senior most Regional I.G. of Police - Member
- (vi) Special Secretary/Addl. Secretary, Home Police Dept. - Member Secretary.

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"660 C (b) Out of turn promotion will be decided by a committee which will be constituted as follow :-

- (i) Director General and I.G. of Police, Jharkhand :- Chairman
- (ii) Two Senior most officer after DGP, Jharkhand :- Member
- (iii) Inspector General of Police (Human Rights), Jharkhand- Member Secretary
- (iv) IG/DIG of Police (Personnel), Jharkhand :- Member

2. अधिसूचना संख्या-1463, दिनांक-04.02.1989 (यथा अंगीकृत) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(तदाशा मिश्र),
सरकार के विशेष सचिव ।
